प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड का कार्यालय, राँची
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E) JHARKHAND, RANCHI

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

649832
09/01/26

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2025-26/ 4152 Dated:- 23 /12/2025.

the Pr. Accountant General
INWARD
08 JAN 2026
No:..........
तेलंगाना/Telangana
हैदराबाद/Hyderabad-500 004.

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO.-- **162/2025-26.**

To,
The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh, ziro Point, Blauda Bazar Road, Raipur	493111
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B,Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5329/5369 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695001
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj, Uttar Pradesh.	211001.

27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt,Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021
33	Accountant General (A&E), Telangana; Haydrabad	500004

Subject :- Enhancement rate of Dearness Relief of Pre-Revised Pay scale (Sixth Pay) to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01/07/2023 (Enhanced from 221 % to 230%) .

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No. सं०सं०:33-वि०(अपुनरीक्षित भत्ता)—**138/2024** -1661/ वि० दिनांक-03/07/2024 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi.

पेन्श 3 क्र० सं० 1258 दि० 19/12/24

(613)

सं॰सं॰ : 33–वि॰(अपुनरीक्षित भत्ता)–138 / 2024 1661/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 09.07.2024

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन / पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3(1)/2008 E.II (B), दिनांक 06.11.2023 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 230% (दो सौ तीस प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 230% (दो सौ तीस प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1461 / वि० दिनांक 14.06.2024 के क्रम में दिनांक 28.06.2024 की बैठक के मद सं० 16 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08/07/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

AAO / Pen-3

18/12/25

ज्ञापांक : 33–वि.(अपुनरीक्षित भत्ता)–138 / 2024...1661/वि०... राँची, दिनांक ...09.07.2024

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय / महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची / महालेखाकार (ले• एवं हक•), झारखंड, राँची / मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी कोषागार / उप–कोषागार पदाधिकारी / जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग / वित्त (वै•दा•नि•को•) विभाग, झारखंड, रांची / सांस्थिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय / सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

08/07/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।